



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या - 2186 वर्ष 2026

अभिषेक तिवारी और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ और अन्य।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विद्या भूषण पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विद्या भूषण पांडे एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में उन अनुतोषों हेतु प्रार्थना की है, जिनका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड (प्रेयर क्लॉज) में किया गया है। आवेदन में उल्लिखित अनुतोष निम्नवत है:-

"अतः यह अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय पुलिस स्टेशन मुंशीगंज, जिला-अमेठी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 125, 333, 117(2) के अंतर्गत विचारण का सामना करने हेतु याचिकाकर्ताओं को समन करने वाले अपर व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-31, सुल्तानपुर द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 08.04.2026 को रद्द करने की कृपा करें, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 0099 वर्ष 2025, पुलिस स्टेशन मुंशीगंज, जिला अमेठी से उत्पन्न भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 125, 333, 117(2) के अंतर्गत आक्षेपित आरोप-पत्र संख्या- 01 वर्ष 2023 दिनांक 07.10.2025 को न्याय के हित में रद्द करने की कृपा करें।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुलिस स्टेशन मुंशीगंज, जिला अमेठी के प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0099 वर्ष 2025 से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण संख्या 96 वर्ष 2026 (राज्य बनाम सौरभ तिवारी एवं 6 अन्य) जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

191(2), 115(2), 352, 351(3), 125, 333, 117(2) के अंतर्गत है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें।"

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने अपर व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-31, सुल्तानपुर द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 08.04.2026 को चुनौती दी है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि विवेचना अधिकारी ने विवेचना उचित प्रकार से नहीं की है और अग्रिम विवेचना के आदेश के बावजूद सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन नहीं किया है। विवेचना उचित प्रकार से न करते हुए, इसके उपरांत आवेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 125, 333, 117(2) के तहत आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।
5. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है और बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए पारित किया गया है, अतः यह अपास्त किए जाने योग्य है।
6. इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. श्रीवास्तव का तर्क है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का कोई 'विश्वकोश' नहीं है और न ही इसमें घटना के हर पहलू का पूर्ण व कालानुक्रमिक विवरण होना अपेक्षित है। अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देना है ताकि वे विवेचना प्रारम्भ कर सकें। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वी.के. मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, (2015) 9 एससीसी 588, लातेश उर्फ दादू बापूराव कालेकर बनाम महाराष्ट्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राज्य, (2018) 3 एससीसी 66, तथा अमीष देवगन बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2021)

1 एससीसी 1 के मामलों में पारित निर्णयों का आश्रय लिया है।

7. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एन. जॉन बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य, [2025] 1 एस.सी.आर. 12 : 2025 आईएनएससी 4** के प्रकरण के प्रस्तर 25 में अपने पूर्व निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उक्त सिद्धांत को दोहराया है। **बी.एन. जॉन प्रकरण (उपरोक्त)** का प्रासंगिक प्रस्तर 25 सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:-

""25. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक बल या हमले के प्रयोग का कोई आरोप नहीं है जिससे कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 का प्रावधान लागू किया जा सके। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपराधिक प्रक्रिया केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के साथ प्रारम्भ होती है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट से घटना के सभी विस्तृत तथ्यों को समेटे हुए एक विश्वकोश होने की उम्मीद नहीं की जाती है और यह केवल एक ऐसा दस्तावेज है जो आपराधिक विधिक प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, फिर भी इसमें कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति का खुलासा होना चाहिए; अन्यथा जैसा कि **भजन लाल प्रकरण (उपरोक्त)** (निर्णय के प्रस्तर 102 का खंड 1) में निर्णित किया गया था, यह रद्द होने योग्य हो जाएगा।

इस न्यायालय ने **सी.बी.आई. बनाम तपन कुमार सिंह, (2003) 6 एससीसी 175** में निम्नलिखित अवलोकन किया:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“20. यह सुस्थापित स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है, जिसमें दर्ज अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का प्रकटन होना अनिवार्य हो। एक सूचनाकर्ता किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट पंजीकृत करा सकता है, भले ही उसे पीड़ित या हमलावर का नाम न ज्ञात हो। उसे यह भी ज्ञात न हो कि घटना कैसे हुई। यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचनाकर्ता प्रत्यक्षदर्शी ही हो जो अपराध के सभी पहलुओं को विस्तार से बता सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन होना चाहिए और दर्ज कराई गई जानकारी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करने का आधार प्रदान करे। इस स्तर पर इतना ही पर्याप्त है कि दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध होने का संदेह हो, न कि वह पूरी तरह आश्वस्त या संतुष्ट हो। यदि उसके पास प्राप्त जानकारी के आधार पर यह संदेह करने का कारण है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ हो सकता है, तो वह जानकारी दर्ज करने और विवेचना करने हेतु बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए जानकारी की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक नहीं है.....”

(बल दिया गया)”

8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी का आगे यह तर्क है कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत तब तक साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि गवाहों का शपथ पर मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण न हो जाए, तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को विचारण के दौरान गवाहों द्वारा सिद्ध न कर दिया जाए। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश में ऐसी कोई अनियमितता नहीं है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 507 के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही को दूषित करती हो। धारा 507 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान सुलभ संदर्भ हेतु नीचे दिए गए हैं:-

"धारा 507 - अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित करती हैं- यदि कोई मजिस्ट्रेट, जिसे इस निमित्त विधि द्वारा सशक्त नहीं किया गया है, निम्नलिखित बातों में से कोई बात करता है, अर्थात:-

- (क) धारा 85 के अधीन संपत्ति का कुर्क और विक्रय करता है;
- (ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में के किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करता है;
- (ग) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (घ) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (ङ) सदाचार के लिए पाबंद किए गए किसी व्यक्ति को उन्मोचित करता है;
- (च) परिशांति कायम रखने का बंधपत्र रद्द करता है;
- (छ) भरण-पोषण का आदेश देता है;
- (ज) लोक उपताप के संबंध में धारा 152 के तहत आदेश देता है;
- (झ) धारा 162 के तहत, लोक उपताप की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने को प्रतिषिद्ध करता है;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ज) अध्याय XI के भाग ग या भाग घ के तहत आदेश देता है;

(ट) धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेता है;

(ठ) किसी अपराधी का विचारण करता है;

(ड) किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करता है;

(ढ) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाहियों पर, धारा 364 के अधीन दंडादेश पारित करता है;

(ण) किसी अपील का निर्णय करता है;

(त) धारा 438 के अधीन कार्यवाहियां मंगाता है; या

(थ) धारा 491 के अधीन पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण करता है, तो उसकी कार्यवाहियां शून्य होंगी।"

9. विद्वान राज्य अधिवक्ता का आगे तर्क है कि विद्वान विशेष न्यायालय ने विधि के अनुसार तथा **गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वर्दे; (2014) 3 एससीसी 659** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तर 13 और 14 में प्रतिपादित विधि के आलोक में संज्ञान लिया है। प्रस्तर 13 और 14 नीचे उद्धृत हैं:

"13. परंतु यदि कोई प्रकरण धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(ए) के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तहत किसी परिवाद के माध्यम से तो जाहिर तौर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस की जांच एजेंसी ही विधिक रूप से विवेचना करने और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने हेतु अधिकृत है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा परिवाद न किया गया हो जहां परिवाद मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। यद्यपि एक पुलिस प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रकरण मजिस्ट्रेट के पास यह राय बनाने के लिए जाता है कि क्या यह संज्ञान लेने और मामले को विचारण हेतु सुपुर्द करने के लिए उपयुक्त प्रकरण है या नहीं, और मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा विवेचना पूरी होने व आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आरोप पत्र में से किसी धारा को निकाल या जोड़ नहीं सकता है।

14. इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता/अभियोजन को कोई उपचार मांगने से वंचित कर दिया जाएगा यदि जांच प्राधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट तथ्यों के बावजूद भारतीय दण्ड संहिता की उन सभी धाराओं को शामिल करने में विफल रहे हैं जिनके तहत अपराध का बनना पाया जा सकता है। इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि अभियोजन को उन धाराओं के अपवर्जन से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अपराध का गठन करती हैं, यदि जांच अधिकारी किसी भी कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित विवेचना में सभी अपराधों को आरोप पत्र में शामिल करने में विफल रहे हैं। परंतु फिर एक और प्रश्न उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष आरोप पत्र दाखिल होने के बाद संज्ञान लेने के लिए मामला आता है, द्वारा इस कमी को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता है क्योंकि यह विचारण न्यायालय द्वारा केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216, 218 या 228 के तहत आरोप विरचित करने के समय ही अनुमेय होगा। इसका अर्थ यह है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन के लिए उपयुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप विरचित करने के चरण में यह तर्क देने का विकल्प खुला रहेगा कि दिए गए तथ्यों के आधार पर उपयुक्त धाराएं लगाई जाएं। साथ ही, अभियुक्त को भी इस चरण में यह तर्क प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है कि किसी विशिष्ट प्रावधान के तहत आरोप विरचित किया जाना चाहिए या नहीं और पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में यह निर्धारित करने के लिए यह उपयुक्त मंच है कि क्या आरोप विरचित किया जा सकता है और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री व प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र में प्रकट तथ्यों के आधार पर किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है।

(बल दिया गया)"

10. विद्वान राज्य अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि संज्ञान लेते समय न्यायालय आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी भी धारा को जोड़ या घटा, हटा या शामिल नहीं कर सकता है क्योंकि यह केवल आरोप विरचित करते समय ही अनुमेय है।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत उल्लिखित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय हैं, इसलिए इस प्रकरण को वारंट विचारण के रूप में माना जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 262(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समरूप धारा 239) के आलोक में आरोप विरचित करते समय अभियुक्त-आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

12. सुलभ संदर्भ हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 262(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समरूप धारा 239) नीचे उद्धृत की जा रही है:

"धारा 262. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा -(1) अभियुक्त धारा 230 के तहत दस्तावेजों की प्रतियां सौंपे जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यदि धारा 193 के अधीन भेजी गई पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने पर तथा अभियुक्त की ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जो मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, भौतिक रूप से या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से करने के पश्चात् और अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार मानता है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।"

13. विद्वान राज्य अधिवक्ता का आगे तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफता; (2019) 20 एससीसी 539 के प्रकरण में निर्णय पारित किया है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि समन जारी करने के समय समन आदेश में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रदीप एस. वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य, (2021) 19 सुप्रीम कोर्ट केसेस 62** में पारित अपने निर्णय के प्रस्तर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

91 में की गई है। प्रदीप एस. वोडेयार (उपरोक्त) में पारित प्रासंगिक पैराग्राफ 91 सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"91. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय का इस आधार पर अंतर स्पष्ट करते हुए कि वह परिवाद वाद में संज्ञान लेने से संबंधित था, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के प्रकरण में मजिस्ट्रेट को सामग्रियों का अवलोकन करने का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है: गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफता (2019) 20 एससीसी 539 : (2020) 3 एससीसी (क्रि.) 876-2

23. जहां तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने का संबंध है, मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र, गवाहों के बयान और विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अन्य साक्ष्यों का लाभ मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और विवेचना के नियमों के अनुसार की गई जांच के दौरान जांच अधिकारी/थाना प्रभारी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करता है। इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री की जांच, जांच अधिकारी के स्तर पर की जाती है और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल की जाती है। उपयुक्त मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी ली जाती है। इस प्रकार न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ पुलिस द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों का लाभ मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के अंतर्गत, जहां मजिस्ट्रेट ने पुलिस आख्या पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करने का निर्देश देता है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के मामले में मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामलों में, मजिस्ट्रेट को केवल अभियुक्त को समन जारी करने का आदेश पारित करना होता है। अभियुक्त को समन जारी करने का ऐसा आदेश पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने तथा अपने आप को संतुष्ट करने के बाद कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर आधारित होता है। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में, अभियुक्त को समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आरोपपत्र विधि द्वारा वर्जित है या जहां क्षेत्राधिकार का अभाव है या जब आरोपपत्र खारिज कर दी जाती है या अभिलेख पर नहीं ली जाती है, तब मजिस्ट्रेट को आरोपपत्र को खारिज करने और उसे अभिलेख पर न लेने के कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।"

14. विद्वान राज्य अधिवक्ता का आगे तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह व्यवस्था दी है कि उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए लघु विचारण चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अखिल शारदा एवं**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य, (2023) 11 एससीसी 626, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य, (2023) 18 एससीसी 399 तथा नरेश अनेजा उर्फ नरेश कुमार अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2025) 2 एससीसी 604 के साथ-साथ भीखूभाई गोविंदभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य एससीसी ऑनलाइन एससी 915 के हालिया निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। अखिल शारदा एवं अन्य (उपरोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर 18 सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अवलोकन करने पर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में एक लघु विचारण चलाया है, जो कि इस चरण में और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन का निर्णय करते समय अनुमेय नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में देखा और माना गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा कोई लघु विचारण नहीं चलाया जा सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में उच्च न्यायालय किसी विशेष मामले के साक्ष्यों के मूल्यांकन में नहीं जा सकता है।"

15. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में यह न्यायालय इस चरण में आवेदकगण को कोई आनुतोष देने का इच्छुक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए तथ्यों के विवादित प्रश्नों का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्णय नहीं कर सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में बार-बार प्रतिपादित किया गया है।

16. यद्यपि संबंधित न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आवेदक उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और इस आदेश की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

17. तदनुसार यह आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

18. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त-आवेदकगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 262(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समरूप धारा 239) के तहत आरोप विरचित करने के चरण में सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप विरचित करने के चरण में अपनी सभी शिकायतें उठा सकते हैं। विचारण न्यायालय विवेचक द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों का मूल्यांकन करेगा और विधि के अनुसार सख्ती से आरोप विरचित करने के समय आवेदक के मामले पर विचार करेगा।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

जून 05, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।